उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-76/1364/एक-1-2016-20(8)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 20 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 57 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में, नियम-57 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (12) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान खण्ड	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(12)- ऐसा प्रत्येक आवंटन पांच वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही बढ़ाया जायेगा।	(12)- ऐसा प्रत्येक आवंटन दस वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही उसे बढ़ाया जायेगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in